

UGC NET (Law Paper - II) Volume - I

- न्यायशास्त्र
- संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि
- सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि



Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, "वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें". This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All efforts have been to analyzed and compiled the relevant segment from exam point of view, so that reader can get maximum output among it. I hope this smart notes will proved to be a good assistant for you.

UGC NET is good alternate option for Law aspirants, I particularly suggest each judiciary aspirant as well to have a back up option in your life as College Lecturer after being qualified in UGC NET exam.

- Tansukh Paliwal
Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

[Click Here to Buy LinkingPublications](#)

अनुक्रमणिका		
UGC NET (Law Paper - II)		
क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	न्यायशास्त्र	1-44
2.	संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि	45-216
I.	संवैधानिक विधि	45-203
II.	प्रशासनिक विधि	204-216
3.	सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि	217-252
I.	सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि	217-240
II.	अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि	241-252

Note : The above Index contain the various subjects of laws as per latest syllabus for UGC NET Examination

Disclaimer: All efforts have been made to assure accuracy of the answer given and explanation provided. However, any Bonafede or unintentional error or mistake as to typing, printing or otherwise will not entitled any reader of the book for any kind of damages or compensation whatsoever.

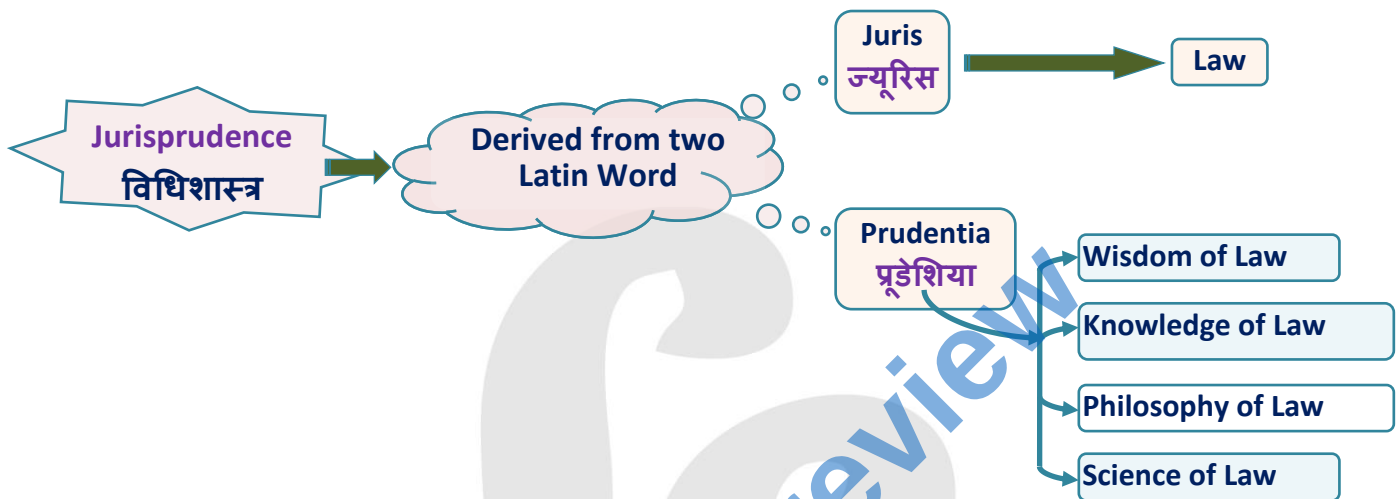
UNIT-1

न्यायशास्त्र

इकाई – I: न्यायशास्त्र

1. विधि की प्रकृति और स्रोत
2. न्यायशास्त्र के स्कूल
3. विधि और नैतिकता
4. अधिकारों और कर्तव्यों की अवधारणा
5. विधिक व्यक्तित्व
6. संपत्ति, स्वामित्व और कब्जे की अवधारणाएँ
7. दायित्व की अवधारणा
8. विधि, गरीबी और विकास
9. वैश्विक न्याय
10. आधुनिकता और उत्तर-आधुनिकता

JURISPRUDENCE / विधिशास्त्र



DEFINITION BY EMINENT JURISTS



ULPAIN : A Celebrated Roman Jurist (170A & 228AD)

The observation of things Human and divine, the knowledge of Just and unjust

CRITICISM : Being meta – physical in Nature its value cannot be Evaluated

न्यायशास्त्र क्या है?

1. न्यायशास्त्र की प्रकृति और दायरा

- न्यायशास्त्र अध्ययन का एक क्षेत्र है जो कानून के मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं से संबंधित है। इसमें कानून के स्रोतों, कानून और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंधों और कानून की प्रकृति का अध्ययन शामिल है।
- न्यायशास्त्र का दायरा विशाल और विविध है, जिसमें कानूनी तर्क, कानूनी रूपरेखा, मानव व्यवहार, राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं।

* सामग्री

1. न्यायशास्त्र का अर्थ
2. न्यायशास्त्र की परिभाषाएँ
3. न्यायशास्त्र की प्रकृति और दायरा
 - 3.1. न्यायशास्त्र की प्रकृति
4. न्यायशास्त्र का दायरा
5. न्यायशास्त्र और कानूनी सिद्धांत के बीच अंतर
6. निष्कर्ष

* न्यायशास्त्र का अर्थ

- "न्यायशास्त्र" शब्द लैटिन शब्द "न्यायशास्त्र" से आया है, जिसका व्यापक अर्थ है "कानून का ज्ञान"। विशेष रूप से, "न्यायशास्त्र" का अर्थ है कानून और "न्यायशास्त्र" का अर्थ है कौशल या ज्ञान। इसलिए, न्यायशास्त्र कानून की समझ और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को संदर्भित करता है।
- न्यायशास्त्र कानून का अध्ययन और सिद्धांत है, विशेष रूप से कानून का दर्शन। इसमें कानून के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं, समाज में कानून की भूमिका और कार्य तथा कानून की व्याख्या और उसे लागू करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और तकनीकों की जांच करना शामिल है।
- न्यायशास्त्र कानून, कानूनी प्रणालियों और कानूनी संस्थाओं की प्रकृति का पता लगाता है और उन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों को समझने का प्रयास करता है जिनमें कानून संचालित होता है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें कानूनी प्रत्यक्षवाद, प्राकृतिक कानून, कानूनी यथार्थवाद और आलोचनात्मक कानूनी अध्ययनों सहित कई दृष्टिकोण शामिल हैं। न्यायशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से, विद्वान और व्यवसायी कानून और समाज को आकार देने में इसकी भूमिका की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं।

* न्यायशास्त्र की परिभाषाएँ

- ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 'न्यायशास्त्र' को मानव कानून के व्यवस्थित और सूत्रबद्ध ज्ञान या विज्ञान के रूप में परिभाषित करती है,

• विभिन्न न्यायविदों द्वारा परिभाषाएँ

- रोमन विधिवेत्ता उल्पियन ने विधिशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, "विधिशास्त्र ईश्वरीय और मानवीय चीजों का ज्ञान है, न्याय और अन्याय का विज्ञान है।"
- सिसरो ने न्यायशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि "न्यायशास्त्र कानून के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है।"
- ऑस्टिन ने न्यायशास्त्र को "सकारात्मक कानून के दर्शन" के रूप में परिभाषित किया है।
- सकारात्मक कानून या जस्ट पॉज़िटिविज़्म से उनका तात्पर्य किसी राजनीतिक श्रेष्ठ द्वारा अपने अधीन लोगों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानून से है।
- हॉलैंड ने न्यायशास्त्र को "सकारात्मक कानून का औपचारिक विज्ञान" के रूप में परिभाषित किया है।
- सैल्मंड ने न्यायशास्त्र को "नागरिक कानून के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान" के रूप में परिभाषित किया है।
- कांट ने न्यायशास्त्र को "सही का विज्ञान" के रूप में परिभाषित किया है।
- रोस्को पोंड ने न्यायशास्त्र को "कानून का विज्ञान" के रूप में परिभाषित किया है।
- ग्रे ने न्यायशास्त्र को "कानून का विज्ञान, न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का कथन और व्यवस्थित व्यवस्था तथा इन नियमों में शामिल सिद्धांतों" के रूप में परिभाषित किया है।
- एलन न्यायशास्त्र को "कानून के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण" के रूप में परिभाषित करते हैं।

- कीटन ने न्यायशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि "न्यायशास्त्र कानून के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन और व्यवस्थित व्यवस्था है।"
- जूलियस स्टोन ने न्यायशास्त्र को "वकील की बहिर्मुखता" के रूप में परिभाषित किया है।
- लास्की ने न्यायशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है कि "न्यायशास्त्र कानून की आंख है।"

*** न्यायशास्त्र की प्रकृति और दायरा**

1. न्यायशास्त्र की प्रकृति

- न्यायशास्त्र कानून का अध्ययन और सिद्धांत है और यह कानूनी प्रणाली की हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र कानून के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिसमें अधिकारों, कर्तव्यों, संपत्तियों, संपत्तियों और उपचारों का अर्थ शामिल है। इन अवधारणाओं की जांच करके, न्यायशास्त्र हमें समाज में कानून की भूमिका और कार्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
- न्यायशास्त्र के प्रमुख पहलुओं में से एक है कानून के स्रोतों पर इसका ध्यान केंद्रित करना। यह क्षेत्र कानून के विभिन्न स्रोतों, जिसमें वैधानिक कानून, सामान्य कानून और संवैधानिक कानून शामिल हैं, के बारे में जानकारी प्रदान करता है। न्यायशास्त्र के अध्ययन के माध्यम से, विद्वान और व्यवसायी इस बात की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं कि कानून के ये स्रोत एक-दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और समय के साथ कानूनी प्रणालियों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं।
- न्यायशास्त्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू कानून की अवधारणा को स्पष्ट करने में इसकी भूमिका है। जबकि कानून को अक्सर नियमों और विनियमों के एक समूह के रूप में माना जाता है, न्यायशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि कानून एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसे एक सरल परिभाषा में कम नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, कानून एक गतिशील और विकसित अवधारणा है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों की एक श्रृंखला द्वारा आकार लेती है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायशास्त्र कोई मूल या प्रक्रियात्मक कानून नहीं है। बल्कि, यह एक असंहिताबद्ध कानून है जो कानूनी प्रणाली को समग्र रूप से समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। न्यायशास्त्र "कानून की आंख" के रूप में कार्य करता है, जो इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कानून कैसे काम करता है और समाज में न्याय और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है।
- जबकि कुछ विद्वान न्यायशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखते हैं, अन्य इसे सामाजिक विज्ञान के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, न्यायशास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल के विद्वान न्यायशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखते हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों द्वारा आकार लेता है। हालाँकि, कोई भी व्यक्ति न्यायशास्त्र को जिस तरह से देखता है, यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र कानूनी प्रणाली की हमारी समझ को आकार देने और समय के साथ कानूनी सिद्धांत और व्यवहार के विकास को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UGC NET (Law Paper - II)

Volume - II

- अपराधों का विधि
- अपकृत्य और उपभोक्ता संरक्षण का विधि



Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

अनुक्रमणिका		
UGC NET (Law Paper - II)		
क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	अपराधों का विधि	1-180
2.	अपकृत्य और उपभोक्ता संरक्षण का विधि	181-302
I.	अपकृत्य विधि	181-242
II.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019	243-264
III.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988	265-294
IV.	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002	295-302

Note : The above Index contain the various subjects of laws as per latest syllabus for UGC NET Examination

Disclaimer: All efforts have been made to assure accuracy of the answer given and explanation provided. However, any Bonafede or unintentional error or mistake as to typing, printing or otherwise will not entitled any reader of the book for any kind of damages or compensation whatsoever.

IPC का परिचय

1. परिभाषा और उद्देश्य :

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारत की प्रमुख आपराधिक संहिता है, जो **1860 में अधिनियमित हुई और 1 जनवरी, 1862 से प्रभावी हुई**।
- यह विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है, दंड निर्धारित करता है, तथा भारत में आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विधिक प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- **लॉर्ड मैकाले** के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जो विधिक विशेषज्ञों की एक समिति के अध्यक्ष थे।

2. ऐतिहासिक संदर्भ :

- आईपीसी से पहले, भारत में आपराधिक विधि **हिंदू, इस्लामी और प्रथागत कानूनों के मिश्रण पर आधारित** थे।
- आईपीसी का उद्देश्य पूरे भारत में आपराधिक कानूनों को **समेकित और मानकीकृत करना** था, जिससे **एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित हो सके**।

3. आईपीसी की मुख्य विशेषताएं :

- **एकरूपता** : जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश पर लागू।
- **लिंग-तटस्थ** : यह पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है, तथा लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **जवाबदेही** : यह सुनिश्चित करता है कि जांच और अभियोजन के लिए एक संरचित ढांचे के माध्यम से अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
- **अपराधों की रोकथाम** : इसमें कठोर दंड लगाकर व्यक्तियों को अपराध करने से रोकने के प्रावधान शामिल हैं।

आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता (BNS) में परिवर्तन

1. BNS का परिचय :

- **1 जुलाई, 2024** को भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन नए विधि बनाए:
 - **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** आईपीसी की जगह लेती है।
 - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSएस)** ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ले ली है।
 - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)** भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) का स्थान लेगा।
- ये विधि **दिसंबर 2023 में पारित किए गए थे** और इनका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है।

2. BNS के उद्देश्य :

- **संगठित अपराध, आर्थिक अपराध और तकनीकी प्रगति** जैसे समकालीन मुद्दों पर ध्यान दें।

- सामाजिक न्याय (न्याय) पर जोर दें और प्रतिशोधात्मक (दंड-केंद्रित) दृष्टिकोण से सुधारात्मक (न्याय-केंद्रित) दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हों।
- सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में लागू करें।

BNS में बड़े बदलाव

1. नये अपराधों का परिचय :

- **मॉब लिंग** : भीड़ हिंसा से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान।
- **संगठित अपराध** : संगठित आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए नया अपराध।
- **छोटे पैमाने पर संगठित अपराध** : छोटे पैमाने पर संगठित अपराधों को संबोधित करता है।
- **आतंकवादी कृत्य** : आतंकवादी कृत्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान।
- **छीनना** : एक अलग अपराध के रूप में मान्यता प्राप्त।

2. दंड में परिवर्तन :

- **सामुदायिक सेवा** : कुछ अपराधों के लिए दंड के रूप में शुरू की गई।
- **हिट एंड रन मामले** : संशोधित दंड प्रावधान।
- **राजद्रोह** : भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए हटा दी गई; उसके स्थान पर BNS की धारा 150 के तहत राजद्रोह का प्रावधान किया गया।
- **नकली मुद्रा** : नकली मुद्रा नोट रखना अब दंडनीय नहीं है।

3. विद्यमान अपराधों का विस्तार :

- **चोरी** : इसमें डेटा चोरी जैसी अमूर्त वस्तुओं की चोरी को भी शामिल किया गया है।

4. सुधारात्मक न्याय पर ध्यान केंद्रित करें :

- BNS दंडात्मक उपायों की अपेक्षा न्याय पर जोर देता है तथा पीड़ितों और हितधारकों के अधिकारों को प्राथमिकता देता है।
- प्रतिशोधात्मक (दंड) से सुधारात्मक (सुधार) दृष्टिकोण की ओर बदलाव एक आधुनिक, प्रगतिशील विधिक ढांचे को दर्शाता है।

UGC NET (Law Paper - II) Notes

इकाई - IV: अपराध विधि

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी): अध्यायवार विवरण

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 23 अध्यायों और 511 धाराओं में विभाजित है, जो विभिन्न प्रकार के आपराधिक अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंडों को कवर करती है। नीचे आईपीसी के अध्यायों और उनके प्रमुख विषयों का एक संरचित विवरण दिया गया है, जिसे यूजीसी नेट उम्मीदवारों को आईपीसी की रूपरेखा समझने में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अध्याय सं.	धारा	विषय
अध्याय 1	1-5	परिचय
अध्याय 2	6-52	सामान्य स्पष्टीकरण (परिभाषाएँ, शब्द और बुनियादी अवधारणाएँ)
अध्याय 3	53-75	दंड के विषय में (विभिन्न अपराधों के लिए दंड के प्रकार)
अध्याय 4	76-106	सामान्य अपवाद और निजी रक्षा (जैसे, आत्मरक्षा, पागलपन)
अध्याय 5	107-120	दुष्प्रेरण (अपराध में सहायता करना, उकसाना या प्रोत्साहित करना)
अध्याय 5ए	120ए-120बी	आपराधिक षड्यंत्र (अपराध करने की योजना बनाना या सहमत होना)
अध्याय 6	121-130	राज्य के विरुद्ध अपराध (जैसे, सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना)
अध्याय 7	131-140	सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध
अध्याय 8	141-160	लोक शांति के विरुद्ध अपराध (जैसे, दंगा, विधिविरुद्ध जमाव)
अध्याय 9	161-171	लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध (जैसे, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी)
अध्याय 9ए	171ए-171आई	चुनाव से संबंधित अपराध (जैसे, चुनावी धोखाधड़ी)
अध्याय 10	172-190	लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार की अवमानना
अध्याय 11	191-229	झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध (जैसे, झूठी गवाही)
अध्याय 12	230-263	सिक्के और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध
अध्याय 13	264-267	बाट और माप से संबंधित अपराध
अध्याय 14	268-294	सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध
अध्याय 15	295-298	धर्म से संबंधित अपराध (जैसे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना)
अध्याय 16	299-377	मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध
	299-311	- जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध (जैसे, हत्या, गैर इरादतन हत्या)
	312-318	- गर्भपात, अज्ञात बालकों को चोट पहुँचाना, शिशुओं को खुला छोड़ना, जन्मों को छिपाना
	319-338	- चोट के बारे में (जैसे, घोर उपहति, साधारण चोट)
	339-348	- सदोष अवरोध और सदोष परिरोध

UGC NET (Law Paper - II) Smart Notes Volume - III

- वाणिज्यिक विधि
- पारिवारिक विधि



Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

INDEX		
UGC NET (Law Paper - II)		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	वाणिज्यिक विधि	1-204
I.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	1-107
II.	माल विक्रय अधिनियम, 1930	108-130
III.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932	131-157
IV.	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	158-166
V.	कंपनी विधि	167-204
2.	पारिवारिक विधि	205-317
I.	हिंदू विधि	205-270
II.	मुस्लिम विधि	271-317

Note : The above Index contain the various subjects of laws as per latest syllabus for UGC NET Examination

Disclaimer: All efforts have been made to assure accuracy of the answer given and explanation provided. However, any Bonafede or unintentional error or mistake as to typing, printing or otherwise will not entitled any reader of the book for any kind of damages or compensation whatsoever.

भारतीय संविदा अधिनियम 1872

भारतीय संविदा अधिनियम भारत में संविदाओं को नियंत्रित करने वाला प्रमुख विधि है। यह करारों को बनाने, लागू करने और उन्हें पूरा करने के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है, जिससे वाणिज्यिक और व्यक्तिगत संव्यवहार में निष्पक्षता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित होती है।

इस अधिनियम में शुरू में संविदाओं, माल का विक्रय, भागीदारी, उपनिधान और अभिकरण से संबंधित विधि शामिल थे। समय के साथ, माल का विक्रय और भागीदारी **जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को** स्वतंत्र विधियों में विभाजित कर दिया गया।

संविदा विधि: परिचय

अवलोकन

- **संक्षिप्त शीर्षक** : भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
- **अधिनियमन की तिथि** : 25 अप्रैल, 1872
- **प्रवर्तन की तिथि** : 1 सितंबर, 1872
- **प्रयोज्यता** : भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू

परिचय

संविदा का अर्थ

एक संविदा एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से बनती है:

- **प्रस्थापना + प्रतिग्रहण** → वचन
- **वचन + प्रतिफल (मूल्य)** → करार
- **करार + विधिक प्रवर्तनीयता** → संविदा

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत प्रमुख शब्द

- **प्रस्थापना** (जिसे प्रस्ताव भी कहा जाता है) - धारा 2(ए) के तहत परिभाषित
- **वचन** - धारा 2(बी) के तहत परिभाषित
- **प्रतिफल** - धारा 2(डी) के तहत परिभाषित
- **करार** - धारा 2(ई) के तहत परिभाषित
- **संविदा** - धारा 2(एच) के तहत परिभाषित

मौलिक पहलू

- किसी संविदा के निर्माण के लिए **न्यूनतम दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है।**
- यदि आवश्यक विधिक शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो **करार शून्य हो जाता है।**

एक संविदा के आवश्यक तत्व

पक्षकारों की योग्यता

किसी संविदा को विधिपूर्ण बनाने के लिए, इसमें शामिल पक्षकारों को निम्नलिखित होना चाहिए:

1. **विधिक रूप से वयस्क - 18 वर्ष** की आयु प्राप्त कर ली हो।
2. **स्वस्थचित्त** - दोनों पक्षकारों को मानसिक रूप से स्थिर होना चाहिए।

करार और संविदा के बीच अंतर

	करार	संविदा
परिभाषा	वचनों का एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो।	एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है।
विधिक स्थिति	सभी करार संविदा नहीं होते।	सभी संविदा करार हैं।
प्रवर्तनीयता	यह विधिक रूप से लागू हो भी सकता है और नहीं भी।	विधि द्वारा सदैव प्रवर्तनीय।
पक्षकारों के अधिकार	यह हमेशा पक्षकारों को अधिकार प्रदान नहीं करता है।	इसमें शामिल पक्षकारों को प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का परिचय

प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

- अधिनियम संख्या : 9, 1872
- प्रवर्तन की तिथि : 1 सितंबर, 1872
- विधिक प्रणाली का हिस्सा : समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आता है
- शब्द "कॉन्ट्रैक्ट" की उत्पत्ति : लैटिन शब्द "कॉन्ट्रैक्टम" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "एक साथ खींचा गया"।
- विधि की प्रकृति :
 - संहिताबद्ध और मूल विधि
 - प्रकृति में उदाहरणात्मक
 - व्यावसायिक विधि की एक शाखा
- निर्मित अधिकार का प्रकार : व्यक्तिगत अधिकार स्थापित करता है (एक ऐसा अधिकार जो सम्पूर्ण विश्व के विरुद्ध न होकर किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध लागू किया जा सकता है)।
- विस्तार :
 - यह संपूर्ण विधि नहीं है (सभी संभावित संविदात्मक संबंधों को कवर नहीं करता है)।
 - विधि द्वारा लागू किये जाने योग्य करारों को नियंत्रित करता है।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत प्रमुख विधिक परिभाषाएँ

1. संविदा (धारा 2(एच)) :
 - "विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार।"
2. करार (धारा 2(ई)) :
 - " प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों का प्रत्येक संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल स्वरूप होता है, एक करार है।"

अधिनियम की संरचना

1. प्रारंभिक प्रावधान (धारा 1-2): ये धाराएं परिभाषित करती हैं:
 - अधिनियम का विस्तार और प्रयोज्यता।
 - "संविदा", "करार" और "प्रस्थापना" (ऑफ़र) जैसी प्रमुख परिभाषाएँ।

UGC NET (Law Paper - II) Smart Notes Volume - IV

- पर्यावरण एवं मानवाधिकार विधि
- बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विधि
- तुलनात्मक लोक विधि और शासन प्रणाली



Tansukh Paliwal
LL.M, CA
Ex. Govt Officer (Raj.)
Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

INDEX		
UGC NET (Law Paper - II)		
Sr. No.	Subjects	Page No.
1.	पर्यावरण और मानवाधिकार विधि	1-60
I.	पर्यावरण विधि	2-24
II.	मानवाधिकार विधि	25-60
2.	बौद्धिक संपदा अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी विधि	61-210
I.	बौद्धिक संपदा अधिकार विधि	62-104
II.	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	105-126
III.	ट्रेडमार्क विधि	127-140
IV.	भौगोलिक संकेतों (जीआई) का संरक्षण	141-148
V.	जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान	149-170
VI.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	171-196
VII.	साइबर अपराध	194-210
3.	तुलनात्मक लोक विधि और शासन प्रणाली	211-286
I.	तुलनात्मक लोक विधि	211-241
II.	शासन प्रणालियाँ	242-286

Note : The above Index contain the various subjects of laws as per latest syllabus for UGC NET Examination

Disclaimer: All efforts have been made to assure accuracy of the answer given and explanation provided. However, any Bonafede or unintentional error or mistake as to typing, printing or otherwise will not entitled any reader of the book for any kind of damages or compensation whatsoever.

इकाई 8

पर्यावरण एवं मानवाधिकार विधि

इकाई - VIII: पर्यावरण एवं मानवाधिकार विधि

1. 'पर्यावरण' और 'पर्यावरण प्रदूषण' का अर्थ और अवधारणा
2. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
3. भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक और विधिक ढांचा
4. भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और परिसंकटमय अपशिष्ट नियंत्रण
5. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
6. मानवाधिकारों की अवधारणा और विकास
7. सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद
8. अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक
9. समूह अधिकार - महिलाएं, बच्चे, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग
10. भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

पर्यावरण विधि

'पर्यावरण' और 'पर्यावरण प्रदूषण' का अर्थ और अवधारणा

1. पर्यावरण का परिचय

पर्यावरण को उस परिवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जीव रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं और अनुकूलन करते हैं। इसमें सजीव (जैविक) और निर्जीव (अजैविक) दोनों तत्व शामिल हैं। पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द "एनवायरनर" से आया है, जिसका अर्थ है "परिवृत्त" या "चारों ओर"।

रोजमर्रा की जिंदगी में, पर्यावरण में हमारे आस-पास की हर चीज शामिल होती है - जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस मिट्टी पर हम भोजन उगाते हैं, पौधे और जानवर, और यहां तक कि मानव निर्मित संरचनाएं जैसे भवन, सड़कें और बिजली संघ भी।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण परस्पर जुड़े घटकों की एक जटिल प्रणाली है जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती है। इस जटिल प्रणाली में शामिल हैं:

- भौतिक परिवेश (वायु, जल, भूमि, जलवायु)।
- जीवित प्राणी (मनुष्य, पशु, पौधे, सूक्ष्मजीव)।
- इन घटकों के बीच परस्पर क्रिया।

उदाहरण: वन पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण का एक हिस्सा है जिसमें पेड़ (जैविक), मिट्टी और नदियाँ (अजैविक), जानवर और पर्यटन जैसी मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं, जो सभी संतुलन में जुड़े हुए हैं।

2. पर्यावरण की परिभाषाएँ

पर्यावरण की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन विद्वान और संगठन ऐसे विवरणों का उपयोग करते हैं जो इसकी जटिलता को दर्शाते हैं:

1. "जल, वायु और भूमि के आपस में तथा मानव, अन्य जीवित जीवों और पदार्थों के साथ अंतर्संबंधों का कुल योग।"
2. "किसी जीव के जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी स्थितियों और प्रभावों का समुच्चय।"
3. "किसी भी समय और स्थान पर जीवित प्राणियों को घेरने वाली और प्रभावित करने वाली सभी स्थितियों और कारकों का योग।"

परिभाषाओं में सामान्य तत्व:

- **गतिशील प्रणाली** - समय के साथ पर्यावरण बदलता है।
- **अन्योन्याश्रयता** - सजीव और निर्जीव वस्तुएँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं।
- **समग्र अवधारणा** - इसमें भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं।

3. पर्यावरण के प्रमुख घटक

पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक हैं :

अवयव	प्रकृति	उदाहरण
अजैव	निर्जीव, भौतिक-रासायनिक तत्व	हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, खनिज
जैविक	जीवित प्राणी	पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव
सांस्कृतिक	मानव निर्मित तत्व	शहर, बुनियादी ढांचा, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियाँ

3.1 अजैविक घटक

- ये पर्यावरण के **निर्जीव भाग हैं।**
- उदाहरण: सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवा, वर्षा, मिट्टी और खनिज।
- वे जलवायु, भूगोल और संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।
- **उदाहरण:** सहारा रेगिस्तान की जलवायु (कम वर्षा, उच्च तापमान) वनस्पति को सूखा प्रतिरोधी पौधों तक सीमित कर देती है।

3.2 जैविक घटक

- **जीवित तत्व** जैसे वनस्पति (पौधे), जीव (जानवर) और सूक्ष्मजीव।
- ये अजैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं (पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों और पानी की आवश्यकता होती है)।

3.3 सांस्कृतिक घटक

- मानव जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए मानव निर्मित परिवेश का निर्माण किया गया।
- इसमें राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक प्रणालियां, प्रौद्योगिकी और परंपराएं शामिल हैं।

4. पर्यावरण के प्रकार

4.1 प्राकृतिक पर्यावरण

- मानवीय हस्तक्षेप के बिना घटित होता है।
- इसमें जंगल, नदियाँ, महासागर, पहाड़, रेगिस्तान शामिल हैं।
- उपविभाग:
 - **स्थलीय:** घास के मैदान, जंगल जैसे भूमि पारिस्थितिकी तंत्र।
 - **जलीय:** मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र।
 - **वायुमंडलीय:** जीवन की रक्षा करने वाली गैसों की परत।
 - **जैविक:** सभी पौधे और पशु जीवन।

4.2 मानव निर्मित (मानवजनित) पर्यावरण

- जीवित रहने और आराम के लिए मनुष्यों द्वारा निर्मित और संशोधित।
- उदाहरण: शहरी क्षेत्र, कारखाने, खेत, बांध और परिवहन प्रणालियाँ।

5. पर्यावरण की संरचना

पृथ्वी के पर्यावरण को **चार प्रमुख परतों/गोलाओं में विभाजित किया जा सकता है :**

1. स्थलमंडल

- पृथ्वी की बाहरी ठोस परत (चट्टानें, मिट्टी)।
- इसमें पहाड़, मैदान, पठार जैसे भू-आकृतियाँ शामिल हैं।
- आवास और खनिज प्रदान करता है।

समूह अधिकार - महिलाएं, बच्चे, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग

समूह अधिकार सामूहिक अधिकार हैं जो ऐतिहासिक रूप से वंचित, भेदभाव या भेद्यता का सामना करने वाले विशिष्ट सामाजिक समूहों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन्हें वास्तविक समानता (केवल औपचारिक समानता नहीं) सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत गरिमा तथा समूह की सांस्कृतिक/पहचान अखंडता, दोनों की रक्षा करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

समूह अधिकारों के पीछे के सिद्धांत सामाजिक न्याय सिद्धांत, सकारात्मक कार्यवाई दर्शन, नारीवादी न्यायशास्त्र, बाल अधिकार सिद्धांत, विकलांगता का सामाजिक मॉडल और बहुसंस्कृतिवादी सिद्धांत से उभरते हैं।

1. महिला अधिकार**प्रमुख बिंदु**

- पितृसत्ता, लिंग आधारित भेदभाव, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच के अधीन।
- महिलाओं के अधिकार विधि में समानता, हिंसा से मुक्ति, प्रजनन स्वायत्तता और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न, वेतन असमानता और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा।

विधिक ढांचा

- भारत का संविधान: अनुच्छेद 14, 15(1) (समानता, गैर-भेदभाव), 15(3) (महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान), 39(क)(घ), 51(क)(ड)।
- विधि: घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005; कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961।
- अंतर्राष्ट्रीय: CEDAW (1979)।

सैद्धांतिक आधार

- नारीवादी विधिक सिद्धांत: विधि को पितृसत्ता द्वारा निर्मित संस्थागत असमानताओं को चुनौती देनी चाहिए।
- मूल समानता सिद्धांत: समानता का अर्थ केवल समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक उपायों के माध्यम से ऐतिहासिक असुविधा को दूर करना है।

उदाहरण

- 73वें एवं 74वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण।

2. बच्चों के अधिकार**प्रमुख बिंदु**

- बच्चे आश्रित होते हैं और उनके विकास एवं संरक्षण के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
- अधिकारों में अस्तित्व, विकास, भागीदारी और शोषण से सुरक्षा शामिल हैं।

विधिक ढांचा

- संविधान: अनुच्छेद 21क (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार), अनुच्छेद 24 (खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध), DPSP अनुच्छेद 39(ड), 45।

UGC NET/JRF/SET

Law Paper - II

Covered Years 2018 - 2025



Tansukh Paliwal

LL.M, CA

Ex. Govt Officer (Raj.)

Founder, Linking Laws



Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

[Click Here to Buy Linking Publications](#)

INDEX		
UGC NET (Law Paper - II)		
Sr. No.	Subjects	Page No.
i.	Syllabus	4-10
ii.	Weightage Analysis Table	11
iii.	Section switching Table (Old to New Criminal Laws)	12-16
iv.	Topics (UNIT)	17-158
1.	Jurisprudence / न्यायशास्त्र	17-28
2.	Constitutional & Administrative Law / संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि	29-50
3.	Public International Law And IHL/ सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि और IHL	51-65
4.	Law of Crimes / अपराधों का विधि	66-78
5.	Law of Torts & Consumer Protection अपकृत्य और उपभोक्ता संरक्षण का विधि	79-88
6.	Commercial Law / वाणिज्यिक विधि	89-101
7.	Family Law / पारिवारिक विधि	102-114
8.	Environment & Human Rights Law / पर्यावरण और मानवाधिकार विधि	115-127
9.	Intellectual Property Rights & Information Technology Law बौद्धिक संपदा अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी विधि	128-138
10.	Comparative Public Law & Systems of Governance तुलनात्मक लोक विधि और शासन प्रणाली	139-145
11.	Comprehension Passages	136-158
vi.	Scan QR for Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)	159

Note : The above Index contain the various subjects of laws as per latest syllabus for UGC NET Examination

Disclaimer: All efforts have been made to assure accuracy of the answer given and explanation provided. However, any Bonafede or unintentional error or mistake as to typing, printing or otherwise will not entitled any reader of the book for any kind of damages or compensation whatsoever.

(3) [Click Here to Buy LinkingPublications](#)



SYLLABUS

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NET BUREAU

NET SYLLABUS

Total Questions 50

Marks: 100

SUBJECT: GENERAL PAPER ON TEACHING & RESEARCH APTITUDE

Code No.: 00

The UGC NET Paper 1 syllabus comprises 10 unit that assess the teaching, reasoning, research and other abilities of the candidates. A total of 50 questions for two marks each are asked in UGC NET Paper 1 exam. The candidates who are preparing for the UC NET 2024 exam can check the syllabus of the exam below:

- Teaching Aptitude / शिक्षण योग्यता
- Research Aptitude / शोध योग्यता
- Comprehension / समझ
- Communication / संचार
- Mathematical Reasoning and Aptitude / गणितीय तर्क और योग्यता
- Logical Reasoning / तार्किक तर्क
- Data Interpretation / डेटा व्याख्या
- Information and Communication Technology (ICT) / सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT)
- People, Development, and Environment / लोग, विकास और पर्यावरण
- Higher Education Syste / उच्च शिक्षा प्रणाली।

Note : The above Index contain the various subjects of laws as per latest syllabus for UGC NET Examination

UGC NET (Law Paper - II) PAPERATHON

UNIT - I: न्यायशास्त्र / Jurisprudence												
Units	July - 2018	June - 2019	Sep. - 2019	June - 2020	Nov. - 2021	June - 2022	June - 2023	Dec. - 2023	June- 2024	Dec. - 2024	June- 2025	Total Ques.
Nature and sources of law विधि की प्रकृति और स्रोत	22	11,99	13	58	76	-	23, 34, 58, 62, 64, 65, 72,	129, 125	85	106	-	17
Schools of jurisprudence न्यायशास्त्र के स्कूल	13,14, 15, 16, 17,23	26,96, 97	22, 33	23, 74	1,4, 66	2, 15, 48,56, 70, 80, 81	38,31	82	49	56, 99	70, 130	31
Law and morality / विधि और नैतिकता	-	68	23	90	41	-	-	-	-	62	82	6
Concept of rights & duties/अधिकारों और कर्तव्यों की अवधारणा	18,20	35	57	5	2	-	61,69	-	-	-	97	9
Legal personality / विधिक व्यक्तित्व	19	61	38	68	3	16,49	-	107	53	54, 66	60, 85	13
Concepts of property, ownership, and possession संपत्ति, स्वामित्व और कब्जे की अवधारणाएँ	21	17	88	-	-	1,50	-	80, 122	-	-	78	8
Concept of liability / दायित्व की अवधारणा	-	81	59	34	-	-	-	-	-	-	-	3
Law, poverty, & development विधि, गरीबी और विकास	-	-	-	-	-	-	-	71	-	75	-	2
Global justice / वैश्विक न्याय	-	-	-	-	43	-	-	97	-	-	-	2
Modernism & post-modernism आधुनिकता & उत्तर-आधुनिकता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11	10	8	7	8	11	11	8	3	7	7	91

UGC NET (Law Paper - II) PAPERATHON

इकाई - I: न्यायशास्त्र / Jurisprudence

इकाई - I: न्यायशास्त्र / Jurisprudence

विधि की प्रकृति एवं स्रोत

जुलाई - 2018

22. अभिकथन (A) और कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए :

अभिकथन (A) : विधि तभी वैध होते हैं जब वे न्यायसंगत हों।

कारण (R) : विधि का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है।

कोड :

- (1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है।
(4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

उत्तर: [4]

जून - 2019

11. निम्नलिखित में से किसने न्यायशास्त्र को 'ईश्वरीय और मानवीय चीजों का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान' के रूप में परिभाषित किया है?

- (1) ब्लैकस्टोन
(2) हॉब्स
(3) सैल्मंड
(4) उल्पियन.

उत्तर: [4]

99. मेरा मानना है कि मिसाल का पालन करना नियम होना चाहिए न कि अपवाद। यह कथन है:

- (1) कीटन
(2) ब्लैकस्टोन
(3) कार्डोज़ो
(4) पैटन.

उत्तर: [2]

सितम्बर - 2019

13. निम्नलिखित में से किसे मिसाल की तुलना में बनाने का लाभ माना जा सकता है?

- (ए) निरसन क्षमता
(बी) पूर्व ज्ञान
(सी) संभावित आवेदन
(डी) व्यवस्थित व्यवस्था

सुधार विकल्प चुनें:

- (1) केवल (ए), (बी), (डी)
(2) केवल (ए), (बी), (सी)
(3) (ए), (बी), (सी) और (डी)
(4) केवल (ए) एवं (सी).

उत्तर [3]

जून - 2020

58. विधिशास्त्र का विधि से वास्तविक संबंध इस बात पर निर्भर नहीं करता कि विधि को क्या समझा जाता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि विधि को किस प्रकार समझा जाता है, यह कथन किसका है?

- (1) गीर्के
(2) ग्रे
(3) रॉल्स
(4) डुगिट .

उत्तर [2]

नवंबर - 2021

76. न्यायशास्त्र पर पुस्तकों के प्रकाशन को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

- (ए) जेम्स एल्म्स द्वारा वास्तुकला न्यायशास्त्र का एक व्यावहारिक ग्रंथ
(बी) द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, रोस्को पाउंड द्वारा
(सी) विश्व गरीबी और मानव अधिकार, थॉमस पोर्गे द्वारा
(डी) टेकिंग राइट्स सीरियसली, लेखक: रोनाल्ड ड्वॉर्किन
(ई) द ग्रोथ ऑफ द लॉ, बेंजामिन एन. कार्डोज़ो द्वारा

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

- (1) (बी), (ए), (सी), (ई), (डी)
(2) (ई), (बी), (ए), (सी), (डी)
(3) (ए), (बी), (ई), (डी), (सी)
(4) (बी), (ए), (ई), (सी), (डी)

उत्तर [3]

जून - 2023

23. निम्नलिखित कथन किसने दिया?

"इंग्लैंड के विधि का बड़ा हिस्सा, और जैसा कि कई लोग कहेंगे, इसका सबसे अच्छा हिस्सा न्यायाधीश द्वारा बनाया गया विधि है, अर्थात् इसमें न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप नियम होते हैं।"

- (1) डाइसी
(2) लॉर्ड डेनिंग
(3) बेकन
(4) बेन्थम

उत्तर [1]

34. 'कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ' पुस्तक किसने लिखी?

- (1) पैटन
(2) कोरकुनोर
(3) सैल्मंड
(4) एचएलए हार्ट

उत्तर [4]

58. 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है?

- (1) अरस्तू
(2) लोके
(3) मोंटेस्क्यू
(4) केल्सन

उत्तर [3]

62. 'आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि को जन्म देने में प्रकृति के विधिका महान कार्य संपन्न हुआ', यह किसने कहा?

- (1) ओपेनहेम
(2) हेनरी मेन
(3) हॉलैंड
(4) एचएलए हार्ट

उत्तर [2]

64. "विधि का जीवन तर्क नहीं, अनुभव है" यह कथन किसने कहा था?

- (1) रोस्को पाउंड
(2) एच. केल्सन
(3) ओ.डब्ल्यू. होम्स (जूनियर)
(4) जॉन ऑस्टिन

उत्तर [3]

UGC NET (Law Paper - II) PAPERATHON

इकाई - I: न्यायशास्त्र / Jurisprudence

65. किस विधिवेत्ता ने विधि के स्रोतों का वर्गीकरण (क) बाध्यकारी और (ख) प्रेरक के रूप में किया:
- (1) कीटन
 - (2) सैल्मंड
 - (3) एलन
 - (4) रोस्को पाउंड

उत्तर [1]

72. यह कथन किसने कहा कि "न्यायशास्त्र विधिके सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन और व्यवस्थित व्यवस्था है"?
- (1) आरडब्ल्यूएम डायस
 - (2) जूलियस स्टोन
 - (3) कीटन सीजी
 - (4) ई.डब्ल्यू. पैटरसन

उत्तर [3]

दिसंबर - 2023

125. विधि की अनिवार्य अवधारणा को समझाने के लिए बेन्थम द्वारा प्रयुक्त शब्द है :
- (1) फ़रमान
 - (2) अधिदेश
 - (3) हुक्म चलाना
 - (4) आदेश

उत्तर: [2]

129. निम्नलिखित न्यायविदों के नाम उनके जन्म के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें :
- (ए) जेरेमी बेन्थम (बी) जॉन ऑस्टिन
(सी) सर हेनरी मेन (डी) हंस केल्सन
(ई) इमैनुअल कांट
- दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :
- (1) ए, बी, सी, डी, ई
 - (2) ई, ए, बी, सी, डी
 - (3) ए, बी, ई, सी, डी
 - (4) डी, ई, बी, ए, सी

उत्तर: [2]

जून - 2024

85. सूची-I का सूची-II से मिलान करें
- | सूची I - विधिवेत्ता | | सूची II - लिखित | |
|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| ए | रोस्को पाउंड | i. | विधिका जीवन तर्क नहीं, अनुभव है |
| बी | ओलिवर वेन्डेल होम्स | ii. | विधिअनिश्चित है और विधिकी निश्चितता एक कानूनी मिथक है |
| सी | थेरिंग | iii. | विधिका लक्ष्य न्यूनतम घर्षण के साथ अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए |
| डी | जेरोम फ्रैंक | iv. | विधिमानव आचरण और उद्देश्य का हिस्सा है। |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

- (1) ए-III, बी-II, सी-IV, डी-I
- (2) ए-I, बी-II, सी-III, डी-IV
- (3) ए-III, बी-I, सी-II, डी-IV
- (4) ए-I, बी-IV, सी-II, डी-III

उत्तर: [1]

दिसंबर - 2024

106. 'ज्यूरिसप्रूडेंस' शब्द की उत्पत्ति 'ज्यूरिसप्रूडेन्शिया' शब्द से हुई है, जो निम्न द्वारा दिया गया है:

- (1) यूनानी
- (2) रोमन
- (3) ब्रिटिश न्यायविद
- (4) अमेरिकी न्यायविद

उत्तर: [2]

न्यायशास्त्र के स्कूल

जुलाई - 2018

13. निम्नलिखित में से किस न्यायविद ने 'व्याख्यात्मक' न्यायशास्त्र (विधि क्या है) और 'सेंसोरियल' न्यायशास्त्र के बीच अंतर किया? न्यायशास्त्र (विधि कैसा होना चाहिए)?
- (1) जॉन ऑस्टिन
 - (2) हंस केल्सन
 - (3) जेरेमी बेन्थम
 - (4) एचएलए हार्ट

उत्तर: [3]

14. 'अब, प्राकृतिक विधिको निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष माना जाता है। यह परिवर्तनशील सामग्री वाला प्राकृतिक विधि है।' यह अवलोकन विशेष रूप से संबंधित है :
- (1) डेबिन
 - (2) स्टैमलर
 - (3) फिनिस
 - (4) एविनेनास

उत्तर: [2]

16. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए :
- सूची - I (सिद्धांत)
- (क) सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत
 - (ख) श्रेणीबद्ध आदेश का सिद्धांत
 - (ग) विधि का आदेशात्मक सिद्धांत
 - (घ) जीवित विधि का सिद्धांत
- सूची-II (विधिवेत्ता)
- (i) एर्लिच
 - (ii) डुगुइट
 - (iii) जॉन ऑस्टिन
 - (iv) इमानुअल कांट
- कोड : (क) (ख) (ग) (घ)
- (1) (iv) (i) (iii) (ii)
 - (2) (ii) (iv) (i) (iii)
 - (3) (ii) (iv) (iii) (i)
 - (4) (i) (ii) (iv) (iii)

उत्तर: [3]

17. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए :
- सूची - I (पुस्तक)
- (क) विधि का विकास
 - (ख) न्यायशास्त्र की नींव
 - (ग) विधि की प्रकृति और स्रोत
 - (घ) अधिकारों को गंभीरता से लेना
- सूची-II (लेखक)
- (i) ग्रे
 - (ii) आर. ड्वॉर्किन
 - (iii) कार्डोज़ो
 - (iv) जेरोम हॉल

About the Linking App

Linking App Features

Get all E-Book of

- Linking Charts
- Paperathon Booklets
- Study Material E-Notes
- Free Video Lectures Links

How to use Linking App

- Register Yourself then Login
- Subscribe to the plan on validity basis
(i.e. 1 Month, 6 Months or 12 Months)
- Go to My Courses
- Get access to all Linking Publications

How to download Linking App

You can download Linking App
via Play Store 

If you can't find the App on Play Store

Kindly use this QR Code to
download the App.



[Click Here to Buy Linking Publications](#)